दिल्ली परिवहन निगम
(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार)
प्रशासन विभाग,इन्द्रप्रस्थ मुख्यालय
नई दिल्ली–110001

पत्र स0.प्रशा0/7 (27)/2017/28 दिनांकः– 12/01/2017

परिपत्र

मेडिकल स्कीम के अर्न्तगत ईलाज के लिऐ अग्रिम राशि (Advance) उपलब्ध कराने के लिऐ कर्मचारियों की आधी अधूरी फाईल डिपो/यूनिटों से मुख्यालय को भेजी जाती है जिसकों उच्चाधिकारियों ने गम्भीरता से लिया है। अतः भविष्य में इलाज के लिऐ अग्रिम राशि प्रदान करने के लिऐ कर्मचारियों की फाईल मुख्यालय को भली प्रकार जाचं के पश्चात ही भेजें। फाईल को मुख्यालय भेजने से पहले कृप्या सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी निम्नलिखित को सुनिश्चित करें :–

1. मेडिकल एडवांस केवल हृदय की बीमारी, किडनी की बीमारी एंव कैंसर की बीमारी के लिऐ ही दिया जाता है। केवल उक्त बीमारी की फाईलों को नम्बर लगाकर ही अग्रिम राशि के लिऐ मुख्यालय भेजा जाऐ।
2. बीमारी की जांच की रिपोर्ट तथा डाक्टर की **Prescription** की सत्यापित कापी फाईल में लगी होनी चाहिऐ।
3. **Estimate** की **Original** कापी फाईल में लगी होनी चाहिऐ।
4. फाईल में लगें सभी कागजात कर्मचारी द्वारा **Attest/ Self Attestation** होने चाहिऐ, यदि कर्मचारी अस्पताल में दाखिल है तो इस स्थिति में इन कागजात को सम्बन्धित डिपो प्रबन्धक/यूनिट अधिकारी **Attest** करेंगें।
5. कर्मचारी की सेवा निवृति की तिथि फाईल पर अवश्य लिखी होनी चाहिऐ।

11/01
प्रबन्धक (प्रशासन)

समस्त डिपो प्रबन्धक/यूनिट अधिकारी